निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :– 54/2023 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 20/06/2023
निर्णय दिनांक :– 21/02/2025

अनवान

1. नारायणसिंह पिता जग्गुसिंह जाति रावत निवासी वेरावास, स्वादड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. रणजीतसिंह पिता जग्गुसिंह जाति रावत निवासी वेरावास, स्वादड़ी, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम वेरावास पटवार हल्का स्वादडी–बी, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी भूमि जिसके पुराने आराजी खसरा नम्बर 87ध्9 रकबा 5–00 बीघा (पांच बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय जग्गुसिंह पिता नाथूसिंह के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड थी। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता जग्गुसिंह को आवंटन हुई और आवंटन पश्चात् भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई तत्पश्चात् उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज हुई जिसकी जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ सलग्नं है। प्रार्थीगण एंव उसके पिता जग्गुसिंह राजस्व रिकार्ड एंव नक्शा ट्रेस अनुसार उक्त भूमि आराजी सं. 87/9 पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे थे तथा प्रार्थीगण के पिता

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

जग्गुसिंह पिता नाथूसिंह जी की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज कास्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा कास्त है। उक्त भूमि जिसके पुराने आराजी सं. 87/9 का प्रार्थीगण मालिक हैं तथा उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता जग्गुसिंह पिता नाथूसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज थी जिसके प्रमाण स्वरूप पुरानी राजस्व जमाबन्दी नकल सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी संलग्न हैं जिसके स्पष्ट रूप से प्रार्थीगण को उक्त भूमि आराजी सं. 87/9 का बतौर खातेदार अंकित कर रखा है। वर्तमान सेटलमेन्ट विभाग एंव राजस्व कर्मचारीयो द्वारा उक्त आराजीयात के नम्बर विलोपित कर दिये गयें हैं एंव सेटलमेन्ट विभाग एंव राजस्व कर्मचारीयो की त्रुटी से उक्त आराजी नम्बर 87/9 वर्तमान चालु जमाबन्दी राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज कर ली जबकि पुराने राजस्व रेकार्ड में उक्त नम्बर की भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो मौके पर प्रार्थीगण काबिज है। परन्तु वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीयो ने त्रुटी वश उक्त आराजी सं. 87/9 को राजस्व जमाबन्दी में बिलानाम दर्ज कर ली हैं तथा भूमि को राजस्व नक्शे में दर्ज नहीं किया है। जिस कारण प्रार्थीगण को भारी नुकसान हो रहा है। उक्त सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीयो द्वारा की गई उक्त त्रुटी की जानकारी प्रार्थीगण को आज दिन पूर्व नही थी परन्तु जब प्रार्थीगण उक्त आराजी संख्या 87/9 की जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस निकलवाने के लिये तहसील कार्यालय पहुंचा तो प्रार्थीगण को उक्त त्रुटी की जानकारी हुई की प्रार्थीगण की भूमि आराजी सं. 87/9 वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज कर ली गई हैं एंव भूमि राजस्व नक्शे में दर्ज नहीं हुई हैं जिस पर प्रार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड से खसरा मिलान की नकल प्राप्त की तो जानकारी हुई कि उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज कर दिया हैं जबकि प्रार्थीगण मौके पर राजस्व रेकार्ड अनुसार काबिज है। उक्त राजस्व जमाबन्दी में हुई त्रुटी को शुद्ध किया जाकर प्रार्थीगण की

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

भूमि आराजी नम्बर 87/9 को पुराने जमाबन्दी राजस्व रेकार्ड एंव मौके पर कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती का आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण जब राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि हेतु तहसील कार्यालय पहुंचा तो वहां पर जानकारी हुई कि राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि के लिये दावा करना पडेगा जिससे राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के लिये आप न्यायालय में धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण विरासत का नामान्तरण भी नही खुलवा पा रहा हैं एंव भूमि का विकास नही कर पा रहा है। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में दर्ज 5–00 बीघा भूमि पर मौके पर काबिज हैं जिसे राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता के नाम पूनः दर्ज कर मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान से प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व जमाबन्दी जिसके पुराने आराजी नम्बर 87/9 रकबा 5–00 बीघा (पांच बीघा) भूमि जो सम्वत 2068 से 2071 की जमाबन्दी मे जग्गुसिंह पिता नाथूसिंह के नाम दर्ज थी को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटीवश दर्ज नही कर बिलानाम दर्ज कर ली हैं को राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण एंव जग्गुसिंह पिता नाथूसिंह के वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज कर मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब मय पटवारी हल्का स्वादड़ी बी की जांच रिपोर्ट पेश की गई जवाब में उल्लेखित है कि वेरावास की गत जमाबन्दी खाता सं. 10 आ. नं. 87/9 रकबा 5 बीघा रणजीतसिंह नारायणसिंह बाबूडी केली पिता जगुसिंह सा देह खातेदार दर्ज रेकार्ड था। उक्त

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ ● जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

तरमीमी सेटलमेन्ट विभाग ने पूराने आ. नं. 87/9 रकबा 5 बीघा के सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन आराजी नहीं बनाये गये ।सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट जमाबन्दी में तरमीम नक्शे व कब्जे काश्त के अभाव में अंकन अपूर्ण रहा का नोट लगाया हुआ है। उक्त पुराने आराजी न० पुराने लठ्ठासीट में पेंसीली तरमीम है। प्रार्थी मौके पर ग्राम बेरावास के बिलानाम आराजी स० 125 रकबा 1.30 है0 में से रकबा 1.07 है० आंशिक भाग, आराजी 124 रकबा 0.0100 है० किस्म आचा पुर्ण पर काबिज है। उक्त प्रार्थी द्वारा उक्त कब्जाशुदा भुमि में पूर्व में कुआ खुदवाया हुआ है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम वेरावास पटवार हल्का स्वादडी–बी, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी भूमि जिसके पुराने आराजी खसरा नम्बर 87ध्9 रकबा 5–00 बीघा (पांच बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय जग्गुसिंह पिता नाथूसिंह के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड थी। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता जग्गुसिंह को आवंटन हुई और आवंटन पश्चात् भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई तत्पश्चात् उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। प्रार्थीगण एंव उसके पिता जग्गुसिंह राजस्व रिकार्ड एंव नक्शा ट्रेस अनुसार उक्त भूमि आराजी सं. 87/9 पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे थे तथा प्रार्थीगण के पिता जग्गुसिंह पिता नाथूसिंह जी की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज कास्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा कास्त है। उक्त भूमि जिसके पुराने आराजी सं. 87/9 का प्रार्थीगण मालिक हैं तथा उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता जग्गुसिंह पिता नाथूसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। वर्तमान सेटलमेन्ट विभाग एंव राजस्व कर्मचारीयो द्वारा उक्त आराजीयात के नम्बर विलोपित कर दिये

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

गयें हैं एंव सेटलमेन्ट विभाग एंव राजस्व कर्मचारीयो की त्रुटी से उक्त आराजी नम्बर 87/9 वर्तमान चालु जमाबन्दी राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज कर ली जबकि पुराने राजस्व रेकार्ड में उक्त नम्बर की भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो मौके पर प्रार्थीगण काबिज है। परन्तु वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीयो ने त्रुटी वश उक्त आराजी सं. 87/9 को राजस्व जमाबन्दी में बिलानाम दर्ज कर ली हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण एंव जग्गुसिंह पिता नाथूसिंह के वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज कर मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश प्रदान करावें। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने अपने जवाब मय पटवारी हल्का स्वादडी बी की रिपोर्ट की ताईद की।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> 90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पैरोकार जवाब व पटवारी हल्का स्वादड़ी बी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पैरोकार सरकार एवं पटवारी हल्का स्वादडी बी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

खातेदारी दर्ज कर मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। चूंकि भूमि की खातेदारी काश्तकारी से बिलानाम हो चुकी है अतः यह प्रकरण घोषणात्मक दावे (धारा अन्तर्गत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) की श्रेणी में आता है अतः प्रकरण खारिज फरमाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द